मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 553] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर 2008—भाद्र 19, शक 1930

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संकल्प

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2008

क्र. एफ-2-2008-नियम-चार.—राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया है:—

1. भारत सरकार ने अपने संकल्प क्रमांक 5-2-2006-E.III (A), दिनांक 5 अक्टूबर 2006 द्वारा छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया था. छठवें वेतन आयोग ने दिनांक 24 मार्च, 2008 को अपना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया. इस प्रतिवेदन पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा विचारोपरांत छठवें वेतन आयोग की यथासंशोधित अनुशंसाओं को लागू करने संबंधी अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008 को जारी की.

   राज्य सरकार द्वारा भारत शासन द्वारा उपर्युक्त अधिसूचित छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं को राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है. राज्य के पेंशनरों को भी छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ देने का निर्णय लिया गया है.

   नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण करने में लगने वाले स्वाभाविक समय के पूर्व ही राज्य के कर्मचारियों को, वेतन पुनरीक्षण का लाभ नगद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से मूल वेतन तथा मंहगाई वेतन की 20 प्रतिशत राशि अंतरिम राहत के रूप में दी जायेगी. राज्य के पेंशनरों को भी 10 प्रतिशत राशि अंतरिम राहत के रूप में दी जायेगी.

4. दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 31 अगस्त, 2008 तक की अवधि के बकाया का भुगतान राज्य के कर्मचारियों/पेंशनरों को देय होगा.

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को मध्यप्रदेश राज्य के ''असाधारण राजपत्र'' में प्रकाशित किया जाय.

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति मध्यप्रदेश राज्य के विभागों तथा सर्वसंबंधितों को भेजी जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.